

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी - नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या : 24/2021

रजिस्ट्रेशन नं. :2021/00029

अभियुक्त :-

राजस्थान राज्य जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम
बांसवाड़ा हाल उदयपुर
(राज)


श्री सुभाष चन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री महावीर
प्रसाद अग्रवाल मालिक विक्रेता श्री शिव
ऑयल एण्ड फुड इण्डस्ट्रीज, 180/196
इण्डस्ट्रीज एरिया, ठिकरिया बांसवाड़ा

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 05.07.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री अशोक कुमार गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा हाल उदयपुर (राज) के द्वारा दिनांक 15-06-2021 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 31-10-2020 को 2.30 पी.एम. बजे बाहसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु श्री शिव ऑयल एण्ड फुड इण्डस्ट्रीज, 180/196 इण्डस्ट्रीज एरिया, ठिकरिया बांसवाड़ा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री सुभाष चन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल उपस्थित थे। विक्रेता की फैंक्ट्री/पैकिंग ईकाई का निरीक्षण करने पर सरसो का तेल (सुप्रिम) की 1 लीटर वाले 40 कार्टून आम जनता को विक्रय हेतु पाये। इनमें से एक कार्टून खोलकर निरीक्षण करने पर उनमें सरसो का तेल (सुप्रिम) की 1 लीटर वाली 12 बोतल मूल ही कम्पनी पैक सीलबन्द स्थिति में जनता को बिक्री वास्ते रखी पायी। इसमें सब स्टेण्डर्ड, अनसेफ का शक होने पर वास्ते जाँच हेतु खरीदने की सूचना देते उक्त सरसो का तेल (सुप्रिम) की 1 लीटर वाली 4 बोतल मूल ही कम्पनी पैक, सील बन्द स्थिति में खरीदी तथा इनकी कीमत 420 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। वास्ते निरीक्षण खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन-2020 का दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता ने खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत किया। नमुना जाँच हेतु खरीदशुदा सरसो का तेल (सुप्रिम) की 1 लीटर वाली 4 बोतलो पर फार्म नं.5 पर वर्णित सभी जानकारियों अंकित पायी गयी तथा बोतलो पर ही लेबल जिस पर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि.एवं स्वा. अधिकारी बांसवाड़ा व



MS

सिरीयल नंबर W-654 नमूना सम्बन्धित जानकारी मय गवाहान एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर घिपकाया। प्रत्येक नमूना बोटल को नियमानुसार सील बन्द कर अपने जाप्ते में किया। उक्त चार नमूना भागों में से एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2020/265 दिनांक 06.11.2020 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 239 दिनांक 06.11.2020 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया सरसो का तेल (सुप्रिम) Contravention of Regulation 2.2.2(5) of food safety & standards (Packaging & Labelling) Regulation 2011 पाये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(Z.I) के तहत गिस ब्राण्डेड होना पाया। अप्रार्थी द्वारा खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के विरुद्ध अपील अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी बॉसवाडा के समक्ष प्रस्तुत करने पर नमूने का द्वितीय भाग निदेशक रेफरल फूड लेबोरेट्री पुणे को पुनः जांच हेतु भिजवाया गया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी बॉसवाडा के पत्रांक 133-34 दिनांक 09.03.2021 के द्वारा निदेशक रेफरल फूड लेबोरेट्री पुणे के विश्लेषण सर्टिफिकेट नं. RFL/DO/34/21/101/2021 दिनांक 05.02.2021 के अनुसार नमूना क्रमांक W-654 खाद्य पदार्थ सरसो का तेल (सुप्रिम) सबस्टेण्डर्ड पाया गया है। चूंकि नियमानुसार रेफरल फुड लेबोरेट्री से जांच रिपोर्ट अन्तिम है। विक्रेता द्वारा सरसो का तेल (सुप्रिम) सबस्टेण्डर्ड का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 16-06-2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 05.07.2021 को अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना। पत्रावली में उपरोक्त अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया।




Handwritten signature

निदेशक रेफरल फूड लेबोरेट्री पुणे के विश्लेषण सर्टिफिकेट नं. RFL/DO/34/21/101/2021 दिनांक 05.02.2021 के अनुसार नमूना क्रमांक W-654 खाद्य पदार्थ सरसो का तेल (सुप्रिम) सबस्टेण्डर्ड पाया गया है। चूंकि नियमानुसार रेफरल फूड लेबोरेट्री से जॉच रिपोर्ट अन्तिम है। विक्रेता द्वारा सरसो का तेल (सुप्रिम) सबस्टेण्डर्ड का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी रिश्ति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नहीं होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सवरस्टेण्डर्ड किया गया सरसो का तेल (सुप्रिम) को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 का उल्लंघन किया है आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर श्री सुभाष चन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल मालिक विक्रेता श्री शिव ऑयल एण्ड फुड इण्डस्ट्रीज, 180/196 इण्डस्ट्रीज एरिया, ठिकरिया बॉसवाडा को रुपये 20,000/- (अक्षरे रु. बीस हजार मात्र) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के विन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2021 खुले न्यायालय सुनाया गया।




(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णय अधिकारी
(असि-जिला कलेक्टर)
बासवाडा (राज.)
बासवाडा